न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

<u>दांडिक अपील कमांकः 40 / 2012</u> संस्थित दिनांक—23 / 5 / 2014

प्रभुदयाल पुत्र श्री मूलचंद, आयु 40 साल जाति माहौर निवासी वार्ड नंबर—4 गोहद, जिला भिण्ड

––––अपीलार्थी / आरोपी

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म०प्र०) ———<u>प्रत्यर्थी / अभियोगी</u>

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियाजक अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री रामप्रताप सिंह गुर्जर अधिवक्ता

न्यायालय—श्री सुशील कुमार चौहान, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक—451 / 2000 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 23 / 12 / 2011 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

—::— <u>नि र्ण य</u> —::–

(आज दिनांक 11, जुलाई 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अपीलार्थी / आरोपी प्रभुदयाल की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा—374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री सुशील चौहान द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 451/2000 निर्णय दिनांक—23/12/2011 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा—304 (ए) भा०दंठंसं० में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी/अपीलार्थी प्रभुदयाल पेशे से ड्रायवर है तथा दुर्घटना में बतायी गयी दुर्घटनाकारी जीप क्रमांक—एम.पी.—06 बी.—6257 धर्मेन्द्र सिंह अ.सा.—2 के स्वामित्व की है, जिसे सुपुर्दगी पर भी प्राप्त हुई है । यह तथ्य भी निर्विवादित है कि गोहद चौराहा से गोहद शहर के लिए आया मार्ग लोकमार्ग है, जिसपर आवागमन होता रहा है ।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक—15/7/2000 को 14:30 बजे फरियादी लल्लू मेहतर ने थाना गोहद

चौराहा पर उपस्थित होकर जुवानी रिपोर्ट की कि वह वनविभाग की नर्सरी गोहद रोड पर चौराहे पर आने के लिए टैम्पो का इंतजार कर रहा था, तभी एक टैम्पू से एक महिला गोहद से कीरतपुरा गांव की तरफ कच्चे रोड पर जाने हेतु उतरी और पैदल रोड पार कर रही थी, तभी गोहद चौराहा तरफ से कल्लू सरदार की जीप नंबर—एम.पी.—06 बी—6257 को उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और महिला को जीप ने टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आयी और वही जीप चालक उस महिला को जीप में बिठाकर चौराहे की तरफ ले गयी। उक्त आशय की रिपोर्ट फरियादी ने थाना गोहद चौराहा पर जाकर की । जिसपर अपराध कमांक—121/2000 पर धारा—279, 337, भाठदंठंसंठ के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी । आहत को मेडीकल के लिए भेजा जहां उसकी मृत्यु हो जाने से धारा—304 ए भाठदंठंसंठ के अपराध में बढोत्तरी कर संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तृत किया गया ।

- 4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा—279, 304—(ए) भा0दं०ंसं० के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा—279 भा0दं०ंसं० एवं धारा—304 (ए) भा0दं०ंसं० में दोषी पाते हुए धारा—71 द.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार धारा 304 (ए) भा0दं०ंसं० में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
- 5. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह अधार लिया है कि अभियोजन साक्षी कृ.—1 एवं 2 ने न्यायालयीन कथनों में घटना का समर्थन नहीं करते हुए उनके सामने कोई हाटना नहीं होना बताया है । इसी प्रकार अ.सा.—3 ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैरा—1 में आरोपी को नहीं जानने व घटना के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है । अ.सा.—4 जो कि घटना के समय उपस्थित था, उसने भी दुर्घटनाकारी वाहन जीप को नहीं देखा और यह कहा कि घटनास्थल सिंगल रोड हैं, जहां जीप, टैक्टर, बस आदि वाहनों का काफी आवागमन होता है । अ.सा.—5 ने अपने कथन के पैरा—2 में एवं पैरा—5 में ड्रायवर जीप को कैसे चला रहा था और किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था, पूछे जाने पर उसने बताया कि मृतिका उतरकर किराया दे रही थी तभी एक्सीडेंट हुआ था। उक्त साक्षी द्वारा अपने कथन में जीप का नंबर और जीप चालक का नाम नहीं बताया है ।
- 6. रिपोर्टकर्ता अ.सा.—1 ने पैरा—1 में बताया है कि घटना के समय बेहोश हो गयी थी, उसे आरोपी का नाम पता नहीं है, उसे नाम सरदारजी ने बताया था । इस साक्षी ने आरोपी प्रभुदयाल घटना के समय कैसे कपडे पहने था नहीं बताया है । इस प्रकार उपरोक्त अभियोजन साक्षी जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताये गये हैं, उनके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है, जिसको नजर अंदाज कर विद्वान निम्न न्यायालय ने कानूनी भूल की है । अ.

सा.—7 ने मृतिका का मेडीकल परीक्षण किया था जिसने आहत के किसी वाहन के टायर ऐंगिल आदि के निशान नहीं पाये थे । अभियोजन साक्षी कृ.—8 व 9 पक्षविरोधी हैं, उनके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है । इसी प्रकार अ.सा. —10 डाक्टर जे.एन. सोनी ने अपने न्यायालयीन कथन के पैरा—6 में किसी वाहन पर उतरने व चढने के समय कोई व्यक्ति या दाहिनी पर टकराने पर आहत को आयी चोटें आना संभव बताया है ।

- 7. विवेचना अधिकारी की साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निष्कर्ष निकालकर गलत रूप से आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध टहराया है । उपरोक्त कारणों से भी अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।
- 8. अपीलार्थी / आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही विकल्प में यह निवेदन भी किया है कि मामला वर्ष 2000 का होकर करीब 14 वर्ष पुराना है, अपीलार्थी करीब 14 साल से अभियोजन का सामना कर रहा है, आरोपी गृहस्थ है, और किसानी करके अपना व परिवार का भरण पोषण करता है, अतः उसे अर्थदण्ड पर छोड़ने का निवेदन भी किया गया है । जिसका विद्वान ए०जी०पी० द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी / आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे ।
- 9. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—
- 1— ''क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?''
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::- निष्कर्ष के आधार —::-

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से अभियोजन द्वारा मूलतः बतायी गयी घटना में मृतिका भागवतीबाई का अपने पुत्र उत्तम सिंह अ.सा.—4 एवं भतीजी राजकुमारी अ.सा.—5 के साथ गोहद से ग्राम कीतरपुरा जाने के लिए टैम्पो से उतरकर कच्चा

रोड पार करते समय गोहद चौराहे की तरफ से गोहद शहर की ओर जीप. कमांक— एम.पी.—06 / बी—6257 के चालक द्वारा उपेक्षापूर्वक और उतावलेपन से जीप को चलाकर सामने से टक्कर मारना बतायी । जिससे आयी चोटों के फलस्वरूप उपचार के दौरान उसकी मृत्यु 4—5 दिन बाद अस्पताल में हो गयी।

- 11. बचाव पक्ष की ओर से मूलतः यह आधार लिये गये हैं और उनके विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण के स्वतंत्र और महत्वपूर्ण साक्षियों के द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है तथा किसीने भी आरोपी की पहचान सुनिश्चित नहीं की, ना ही आरोपी की कोई पहचान परेड हुई और ना ही उसका जीप चालक होना या उसकी कोई उपेक्षा के कारण दुर्घटना घटित होना स्थापित हुआ है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का गलत मूल्यांकन कर विधि के सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर निष्कर्ष निकालते हुए दोषसिद्धी की है, जोकि अपास्त किए जाने योग्य है । उन्होंने अभियोजन साक्षियों के कथनों में आये विसंगतियों पर भी अपने तर्कों के दौरान प्रकाश डाला है ।
- 12. दाण्डिक विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कथानक को प्रमाणित करने का भार हमेशा ही अभियोजन पर होता है, कि वह अपने मामले को युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करे । अर्थात् बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य न दिये जाने या अन्य किसी निर्बलता के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है ।
- 13. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से डाक्टर पी.के. जैन अ.सा.—7 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक—15/7/2000 को ही सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर रहते हुए भागवती पत्नी रामचरन उम्र—55 साल निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना गोहद चौराहा की चोटों का परीक्षण कर उसकी मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.—4 तैयार करना बताया,जिसमें आहत के माथे पर कुचला घाव, लैफट मिडिल थर्ड रीजन में कंधे के पीछे, आंख के बांयी ओर तथा सीने में बांये तरफ पहली से चौथी पसली पर घाव, बांये कंधे के बीच में पीछे की तरफ एक घाव पाये थे तथा दांये पैर की छोटी अंगुली पर खरोंच पायी थीं, एवं आहत बेहोशी की अवस्था में पायी थी, जिसे तत्काल जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर रिफर किया गया था।
- 14. उक्त चिकित्सक के मुताबिक सभी चोटें 6 घण्टे के भीतर की प्रतीत होती थीं तथा उसके द्वारा भागवती के सीना, बांये हाथ और का एक्सरे परीक्षण भी किया गया था, जिसमें बांये हाथ की रेडियस और अल्ना नामक हडडी में अस्थि भंग पाया था । अन्य भागों में अस्थि भंग नहीं पाया था और उसकी प्रदर्श पी.—5 की रिपोर्ट तैयार करना बताया है । उसने भागवतीबाई के शरीर पर धूल मिटटी के कण या वाहन के टायरों या एंगिल के कोई निशान थे या नहीं यह बताने में असमर्थता अवश्य व्यक्त की है और यह भी कहा है कि भागवतीबाई की सभी चोटें शरीर के बांये हिस्से तरफ चोट नंबर—6 को छोड़कर थी, जो किसी चलते वाहन से गिरने पर संभव नहीं है ।

- 14. मृतिका भागवतीबाई के शव का पोस्ट मार्टम करने वाले चिकित्सक डाक्टर जे.एन. सोनी अ.सा.—10 ने अपनी अभिसाक्ष्य में 20/7/2000 को जे.आर. मेडीकल कॉलेज ग्वालियर में फॉरेसिक मेडीसन विभाग में सहायक प्राध्यापक रहते हुए मृतिका की पहचान उपरांत उसके शव का परीक्षण कर प्रदर्श पी.—10 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए भागवतीबाई की मृत्यु उसके सिर में आयी चोट एवं हृदय व श्वांस तंत्र की बिफलता से होना प्रकट की है और यह कहा है कि मृतिका के शरीर में कोई भी कुचली हुई चोट नहीं थी । रगड़ और नीलगू की चोटें थी, जिनमें टायरों के निशान नहीं थे । ज्यादातर चोटें दाहिनी तरफ थी, कलाई के ऊपर अस्थि भंजन की चोट आयी थी और यह भी पैरा—6 में मत व्यक्त किया है कि मृतिका के शरीर पर जो चोटें आयी वह किसी वाहन से उतरते या चढते समय दाहिनी तरफ से टकराने के फलस्वरूप बांयी तरफ गिरने पर आना संभव है ।
- 15. उक्त दोनों चिकित्सों के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि दोनों चिकित्सों की राय में भिन्नता है और उनकी चोटें भी अलग अलग हैं इसलिये अभियोजन का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं है, जबिक विद्वान ए.जी.पी. का तर्क है कि मृतिका की चोटें जिस तरह की बतायी गयी है, उससे दुर्घटना की पृष्टि होती है।
- 16. डाक्टर पी.के. जैन ने मृतिका भागवतीबाई के प्राथिमक परीक्षण में माथे पर बांयी तरफ कुचला घाव चोट क्रमांक—1 के रूप में और बांये हाथ के बीच में पीछे की तरफ भी एक कुचला घाव बताया है, जबिक डाक्टर जे.एन. सोनी कुचला घाव की चोटों से इंकार करता है । डाक्टर पी.के. जैन के मुताबिक ज्यादातर चोटें दाहिनी तरफ बतायी है, वैसा ही डाक्टर जे.एन. सोनी का कहना है । दोनों ही चिकित्सकों की राय में कुचले हुए घाव के संबंध में ही विरोधाभास हैं और कोई विरोधाभास नहीं है तथा घटना के पांच दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ है और इस दौरान मृतिका भागवतीबाई का उपचार भी हुआ होगा, क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती बतायी गयी है। ऐसे में उक्त विरोधाभास महत्व नहीं रखता है तथा दोनों चिकित्सकों की राय में जिस तरह से चिकित्सीय अभिमत दिया गया, उससे मृतक भागवतीबाई की चोटें दुर्घटनात्मक स्परूप की होना और दुर्घटना दिनांक की संभावित होना प्रमाणित होती हैं, इसलिये ऐसा नहीं माना जा सकता कि चिकित्सीय साक्ष्य से दुर्घटना का समर्थन नहीं हुआ है और इस बिन्दु पर अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है ।
- 17. परीक्षित साक्षियों में से लल्लू अ.सा.—1, धर्मेन्द्र सिंह अ.सा.—2, सुरेन्द्र सिंह अ.सा.—3, रूपसिंह अ.सा.—8 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ह गोषित किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन का मामला संदिग्ध होना प्रकट किया है । किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी साक्षी के पक्ष विरोधी घोषित होने के आधार पर उसकी संपूर्ण अभिसाक्ष्य अग्राह्य नहीं की जा सकती है । यदि उसकी अभिसाक्ष्य में कोई बिन्दु सकारात्मक रूप से प्रकट हो तो उसे उस भाग के

लिए विश्वसनीय माना जा सकता है और उतनी साक्ष्य ग्राह्य की जा सकती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत योगेश भाई पी. भट्ट विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर. 2011 एस.सी. पेज-2328 एवं खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.-ए.आई.आर. —1991 पेज-1853 अवलोकनीय है ।

- 18. लल्लू अ.सा.—1 जिसके द्वारा घटना की रिपोर्ट की गयी थी, उसने घटना से तो इंकार किया है, किन्तु रिपोर्ट प्रदर्श पी.—1 पर उसने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और हस्ताक्षरों का खण्डन नहीं हुआ है और प्रदर्श पी.—1 की रिपोर्ट जीप कमांक—एम.पी.—06—बी/6257 के चालक के विरूद्ध दुर्घटना के संबंध में लिखायी गयी थी । जैसा कि एफ.आई.आर. लेखक और घटना के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद चौराहा निरीक्षक डी.आर. रौनिया अ.सा.—9 ने अपनी अभिसाक्ष्य में भी स्पष्ट किया है । इसलिये प्रदर्श पी.—1 पर अ.सा.—1 के ए से ए भाग के हस्ताक्षर अखंण्डित हैं । हालांकि उसने दुर्घटना का कोई समर्थन नहीं किया ।
- धर्मेन्द्र सिंह अ.सा.-2 जो कि उक्त जीप का स्वामी है । उसने 19. अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जीप कुमांक-एम.पी.-06 बी-6257 उसकी है और दिनांक-15/7/2000 को उसकी उक्त जीप को ड्राइवर प्रभुदयाल पुत्र मूलचन्द्र निवासी गोहद चला रहा था । इस स्वीकारोक्ति का कोई खण्डन आरोपी/अपीलार्थी की ओर से उक्त साक्षी से नहीं कराया गया है, जिससे उक्त तथ्य अखण्डित हो जाता है । हालांकि उक्त साक्षी ने इस बात की जानकारी से इंकार किया है कि एक्सीडेंट के संबंध में ड्राइवर ने उसे आकर बताया था, ऐसे में अ.सा.–2 के पैरा–2 में उक्त स्वीकारोक्ति पूर्णतः साक्ष्य में ग्राह्य है और उससे राजकुमारी अ.सा.–5 के अभिसाक्ष्य को बल मिलता है, जो कि दुर्घटना के समय मृतक भागवतीबाई के साथ में थी और उसने आरोपी को नयायालय में अभिसाक्ष्य देते समय भी पहचाना, क्योंकि पहचान के संबंध में उक्त साक्षी का कथन स्थिगित भी किया गया था और जब आरोपी न्यायालय में आया तो पैरा–2 में उसने स्पष्ट स्वीकारोक्ति की । हालांकि पैरा-10 में उसने यह कहा है कि आरोपी को उसने घटना दिनांक को ही देखा था और उसका नाम उसे पता नहीं था, उसे किसी सरदार ने बताया था ।
- 20. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रदर्श पी.—1 की एफ.आई.आर. में भी जीप बबलू सरदार की होना बतायी है और अ.सा.—2 धर्मेन्द्र सिंह ही जीप मालिक है, ऐसे में आरोपी की पहचान के संबंध में अ.सा.—5 का अभिसाक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय है । जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में भी निष्कर्षित किया है और मृतक के पुत्र उत्तम सिंह अ.सा.—4 ने अपने अभिसाक्ष्य में साथ में होना बताते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि जिस जीप से दुर्घटना हुई थी, उसी जीप से उसकी मां को थाने ले गये थे । ग्वालियर दूसरे वाहन से भेजा गया था । इस तथ्य का कोई भी खण्डन नहीं किया गया है कि उक्त दुर्घटनाकारी जीप से मृतिका को घायल अवस्था में लेकर नहीं जाया गया । प्रदर्श पी.—1 की एफ.आई.आर. में भी इस बात का

उल्लेख है कि जिस जीप से दुर्घटना हुई, उसी से भागवतीबाई को लाया गया, जिसका कोई खण्डन ना होने से इस बिन्दु पर भी साक्ष्य अखंण्डित है और उत्तम सिंह अ.सा.—4 एवं राजकुमार अ.सा.—5 के अभिसाक्ष्य मृतिका भागवतीबाई के पुत्र व भतीजी होने के आधार पर हितबद्धता के कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता है । क्योंकि साक्षी की विश्वसनीयता के लिए नातेदारी (Relestionship not a Factor to effect credibility of a witness) कोई कारक नहीं है । जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा न्याय दृष्टांत नागाप्पत वि. स्टेट by इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तिमलनाडू 2013 {129}ऑल इण्डिया केसेस 163 {एस.सी.} में प्रदत्त किया गया है ।

- 21. अ.सा.—1 लगायत—3 और अ.सा.—8 पक्ष विरोधी घोषित अवश्य हुआ है । अ.सा.—8 केवल जीप की जप्ती प्रदर्श पी.—6 का साक्षी है, जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में जीप गुप्ता नर्सिंग होम के पास से जप्त होने से इंकार किया है । प्रदर्श पी.—6 मुताबिक जीप की जब्ती भिण्ड ग्वालियर रोड गुप्ता नर्सिंग होम के सामने से घटना दिनांक—15/7/2000 को ही की जाना बताया गयाहै और प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि जब्त जीप से ही भागवतीबाई को घायल अवस्था में ले जाया गया था । ऐसे में अ.सा.—6 के समर्थन ना करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन पर नहीं माना जा सकता है ।
- 22. अ.सा.—1 लगायत—3 के जिन बिन्दुओं पर साक्ष्य थी, जिन्हें उन्होंने समर्थन नहीं किया उसके आधार पर अभियोजन का संपूर्ण मामला प्रभावित नहीं होगा । क्योंकि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कई ज्ञात कारण हो सकते हैं एवं वर्तमान समय में लोगों में दूसरे के मामले में ना पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । ऐसी स्थिति में ऐसे साक्षियों द्वारा अभियोजन की पुष्टि ना किए जाने के आधार पर ही अभियोजन के मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय का न्याय दृष्टांत अप्पा भाई एवं अन्य विरुद्ध स्टेट आफ गुजरात ए.आई.आर. 1978 सु.को. पेज—699 अवलोकनीय है ।
- 22. जब्तशुदा जीप जोकि दुर्घटना दिनांक को ही जब्त की गयी और उसकी जगतिसंह अ.सा.—6 ने मेकेनिकल जांच करना बताया है, जो कि शासकीय सेवक होकर आरक्षक था और उसने जीप में कोई तकनीकी खराबी नहीं होना बताते हुए प्रदर्श पी.—7 की मेकेनिकल जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं हुई, जो चालक के नियंत्रण के बाहर हो ।
- 23. उत्तम सिंह अ.सा.—4 के अभिसाक्ष्य में जीप का पूरा नंबर ना बताये जाने को भी बचाव पक्ष ने आधार बनाया है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उत्तम सिंह मजदूर पेशा, ग्रामीण व्यक्ति है और उसकी स्वाभाविक रूप की साक्ष्य है । पूरा जीप का नंबर ना बताया जाना कोई अतिश्योक्ति नहीं है और

उसके आधार पर उसकी अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है । उसके द्वारा पैरा—3 में यह बताना कि जीप को आते हुए उसने नहीं देख पाया था । यह भी स्वाभाविक है क्योंिक कोई भी व्यक्ति दूसरे वाहनें। पर दृष्टि नहीं रखता है । उक्त साक्षी का पैरा—2 में यह कहना कि वह उसकी मां और उसकी भाभी टैम्पो में बैठकर गोहद चौराहा के लिए जा रहे थे, कीरतपुरा के सामने टैम्पो से उतर रहे थे, तभी गोहद चौराहे वाला रोड जो कि सिंगल रोड है, जिसपर वह वर्तमान में तीन ब्रेकर भी बताता है और कॉलेज के लिए रोड लगा होना बताता है तथा पैरा—3 में उसने अपनी साइड से चलना बताया है और यह कहा कि उसने रोड कोस नहीं कर पायी थी, जिस स्थान पर उतरे थे, वहीं खड़े थे । ऐसे में जीप चालक की उपेक्षा या उतावलेपन ही दुर्घटना का परिणाम माना जायेगा तथा इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उक्त मार्ग पर काफी यातायात रहता है और वाहन निकलते रहते हैं ।

- कथानक मुताबिक रोड क्रोस करते समय दुर्घटना की गयी और मृतिका कच्चा रोड पार कर रही थी, सिंगल रोड होने से उतावलापन ही परिलक्षित होता है । ऐसे में राजकुमारी अ.सा.-5 का यह कहना कि जीप कैसे चल रही थी, यह वह नहीं बता सकती, इससे कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है तथा पैरा–11 में उसका यह कहना कि जहां पर टैम्पो खडा था, उसके दाहिनी तरफ पूरी रोड खाली थी और उसकी बुआ को कम दिखता था, इससे भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जायेगा।क्योंकि अपीलार्थी / आरोपी की ओर से ऐसा कोई बचाव का आधार प्रस्तुत या प्रकट नहीं किया गया है कि मृतिका की मृत्यू अंशदायी उपेक्षा दुर्घटना का परिणाम रही हो और ना ही ऐसा तर्क किया गया कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना को टालने का प्रयास किया गया हो, बल्कि दुर्घटनाकारी जीप से ही घायल भागवती को ले जाया जाना अखण्डनीय तथ्य अभियोजन के मामले को बल प्रदान करता है और उक्त परिस्थिति आरोपी के विरूद्ध निर्मित होती है । यह भी उल्लेखनीय होगा कि प्रदर्श पी.—7 के नक्शा मौका मृताबिक घटनास्थल बीच रोड पर स्थित है, जहां से मृतिका भागवतीबाई का कीतरपुरा गांव के लिए जाना बताया है एवं मृतिका भागवतीबाई को टक्कर सामने से मारी गयी जो द्र्घटना बीच रोड पर हुई है, जिससे वाहन चालक की उपेक्षा एवं उतावलापन दर्शित होता है ।
- 25. ऐसे में अ.सा.—4 और 5 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वसनीय साक्षी मानकर आरोपी/अपीलार्थी को दुर्घटनाकारी जीप क्रमांक—एम.पी.—06 बी—6257 का चालक होना और उसकी उपेक्षा या उतावलेपन से दुर्घटना घटित होना माना जायेगा और इस संदर्भ में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि संम्बत होकर पुष्टि योग्य है।
- 26. विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है । मामले में जीप मालिक धर्मेन्द्र सिंह अ.सा.—2 का होने उसके द्वारा दुर्घटना दिनांक को आरोपी/अपीलार्थी जीप का चालक होना ऊपर वर्णित अनुसार स्वीकृत तथ्य की श्रेणी में आता है, इसलिये अपीलार्थी/आरोपी की शिनाख्ती परेड का ना

होना कोई महत्व नहीं रखता है और इस संबंध में धारा—58 साक्ष्य विधान अधिनियम उल्लेखनीय है तथा साक्ष्य विधान अधिनियम की धारा—134 के उपबंध मुताबिक किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है । ऐसे में जबिक अ.सा.—4 और 5 मौके पर मृतिका के साथ थे, उनके द्वारा दुर्घटना की पुष्टि की गयी है । आरोपी को अ.सा.—5 ने पहचाना है और स्पष्टतः वह स्वाभाविक साक्ष्य दी है, इसलिये वे पूर्ण विश्वसनीय मानने में कोई विधिक बाधा नहीं है तथा विवेचना को अ.सा.—9 ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है और उससे प्रदर्श पी.—1 की एफ.आई.आर. के तथ्यों की पुष्टि होती है ।

- 27. ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराये जाने में कोई विधि या तथ्य की भूल नहीं की है । जिन बिन्दुओं पर अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकाश डाला है, वे तात्विक स्वरूप के उक्त स्थिति में नहीं माने जा सकते हैं । इसलिये अपीलीय ज्ञापन में लिये गये आधार स्वीकार योग्य नहीं है ।
- 28. फलतः दोषसिद्धी के बिन्दु पर अपीलार्थी / आरोपी की प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य ना होने से निरस्त की जाती है, एवं धारा—279 एवं 304 (ए) भा.दं.वि. में की गयी दोषसिद्धी की पुष्टि की जाती है।
- जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने 29. उक्त मामले में भा.दं.वि.की धारा-71 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए गुरूत्तर अपराध धारा–304{ए} भा.दं.वि. में दण्डाज्ञा अधिरोपित की है । जहां तक दण्डाज्ञा की कठोरता का प्रश्न है विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । मामला वर्ष 2000 का है और वर्तमान समय तक करीब 14 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है । अर्थात् लंबी अवधि तथा अपीलार्थी / आरोपी द्वारा अभियोजन का सामना किया जाता रहा है, उसके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धी का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है । किन्तु इस आधार पर केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोडा जाना विधि संगत नहीं होगा और ना ही अपराधी परीवीक्षा अधिनियम के तहत ऐसे मामले में लाभ दिया जा सकता है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत दलवीर सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2002 कि मिनल लॉ जनरल एस.सी. पेज-2283 में यह स्पष्ट मार्गदर्शन किया है कि धारा-304 (ए) भा0दं०ंसं० के अपराध के प्रमाणित होने पर अपराधी को परीवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिया जाना चाहिये । जो इस मामले में भी उचित परिस्थितियों में लागू होती है ।
- 30. परंतु लंबे चले अभियोजन को देखते हुए और प्रथम अपराधी होने को दृष्टिगत रखते हुए **06 माह (छ: माह)** के सश्रम कारावास एवं **चार हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाना उचित व न्यायसंगत होगा और उससे विधि की मंशा भी पूर्ण होती है ।

- 31. फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर धारा—304—ए भाठदंठंसंठ के अपराध के लिए आरोपी/अपीलार्थी को **छः माह का सश्रम कारावास और चार हजार रूपये अर्थदण्ड से** दण्डित किया जाता है, जिसमें पूर्व जमा अर्थदण्ड समायोजित हो । व्यतिक्रम की दशा में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दिया गया अतिरिक्त कारावास यथावत रहेगा ।
- 31. आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं, उसे न्यायिक निरोध में लिया जाकर सुपरसेशन वारण्ट तैयार कर दण्डाज्ञा भुगतने के लिए जेल भेजा जावे । जिसके साथ धारा—428 जा.फौ. का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे ।
- 32. धारा—357(3) द.प्र.सं. के तहत मृतिका भागवतीबाई के पित रामचरन उम्र—55 साल, निवासी कीरतरपुरा थाना गोहद चौराहा को दो हजार रूपये प्रथक से बतौर क्षतिपूति प्रदान किए जाने हेतु एक माह के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में जमा करे, जिसके पालन हेतु अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाही करें।
- 33. जप्तशुदा जीप पूर्व से सुपुर्दगी पर होने से उनके संबंध में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है ।
- 32. अपीलार्थी / आरोपी को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

दिनांकः 11 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड